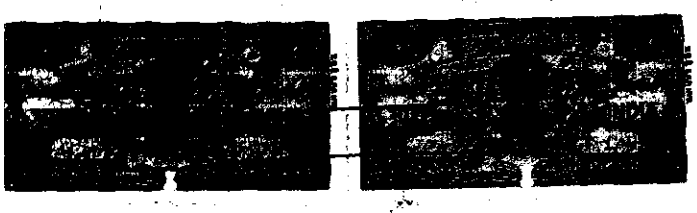

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 रिवीजन R-2992-PBR/14

उरवेन्द्र सिह पुत्र श्री सुरेश सिह आयु–25वर्ष व्यवसाय–काश्तकारी, निवासी–ग्राम ककरघा, तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

—— आवेदक/अनावेदक

श्री एस० एस० श्रीवास्तव, अधि० द्वारा आज दि. 8-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

लाल सिंह पुत्र श्री डबोले राम जाटव निवासी–ग्राम ककरघा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर —— **अनावेदक/आवेदक**

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 16.01.2012 प्रकरण क्र. 69/10–11/बी–121 उन्मान लालसिंह बनाम उरवेन्द्र अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन, समान विषय वस्तु का अन्य कोई आवेदन अन्य किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निरस्त हुआ है ।</u>

M.M. Shrivastava Adv.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

ए– यह कि, अनावेदक/आवेदक लालसिह ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 107(5) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत जॉच अधीक्षक भू–अभिलेख, भू–प्रबंधन कार्यालय कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जो कि कले0कोर्ट प्र0क्र069/10–11/बी–121 के तहत संचालित होकर दिनांक 16.01.12 को आवेदक/अनावेदक उरवेन्द्र सिंह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश

उरवेन्द्र सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 2992–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–1–2012 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा भागचंद से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है इसलिये वह हितबद्ध पक्षकार है, इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिये कलेक्टर के आदेश की जानकारी उसे दिनांक 25–8–2014 को हुई । अतः यह निगरानी समय सीमा में मान्य कर ग्राह्य की जाये, क्योंकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार है और उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त होना चाहिये । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सूचना जारी की गई है, जो कि उस पर दिनांक 28–12–2011 को तामील हुई है । इसके बावजूद भी आवेदक न तो कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुये है और न ही उसके द्वारा कोई जानकारी प्राप्त की गई है । अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । चूँकि आवेदक को सूचना पत्र तामील	Noted 25/11/14